

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर

पत्रांक/मा0प्रौवि0/विविध/4774/2026

दिनांक: 22/09/2026

श्रीमती जयापति गुप्ता,

मोतीराम अड्डा, गोरखपुर

(कस्तुरबा हॉस्टल महिला कैन्टीन, मा0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संचालन हेतु)

विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यदेश पृ.सं./मा.प्रौ.वि./कुस.का./437/2023 दिनांक: 03 जून, 2023 के क्रम में छात्रावास परिसर में स्थित आपको आवंटित (कस्तुरबा हॉस्टल महिला कैन्टीन, मा0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में संचालन हेतु) उक्त का किराया, विद्युत, अधिभार एवं पानी शुल्क के बकाये का विवरण निम्नवत् है :-

क्रमांक	माह / वर्ष	किराया	विद्युत शुल्क	अधिभार शुल्क	पानी शुल्क	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
01.	पिछला बकाया जून, 2023 से अगस्त, 2024 तक			बकाया अवशेष धनराशि - बी./एफ		1,19,605.00
02.	सितम्बर, 2024	11,551.00	1,526.00	380.00	200.00	13,657.00
03.	अक्टूबर, 2024	11,551.00	1,434.00	380.00	200.00	13,564.00
04.	नवम्बर, 2024	11,551.00	879.00	380.00	200.00	13,010.00
05.	दिसम्बर, 2024	11,551.00	1018.00	380.00	200.00	13,149.00
06.	जनवरी, 2025	11,551.00	833.00	380.00	200.00	12,964.00
07.	फरवरी, 2025	11,551.00	740.00	380.00	200.00	12,871.00
08.	मार्च, 2025	11,551.00	833.00	380.00	200.00	12,964.00
09.	अप्रैल, 2025	11,551.00	916.00	380.00	200.00	13,047.00
10.	मई, 2025	11,551.00	842.00	380.00	200.00	12,973.00
11.	जून, 2025	11,551.00	925.00	380.00	200.00	13,056.00
12.	जुलाई, 2025	11,551.00	463.00	380.00	200.00	12,594.00
13.	अगस्त 2025	11,551.00	00.00	380.00	200.00	12,131.00
					कुल योग	2,75,585.00

(नोट माह दिनांक: 19.08.2025 से कैन्टीन के संचालन में असमर्थता एवं नुकसान हो रहा है पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है एवं कैन्टीन रिक्त करने हेतु अनुमति की मांग की गयी है)

उपरोक्तानुसार बकाया किराया, विद्युत, अधिभार एवं पानी इत्यादि शुल्क को जमा करने हेतु आपको अंतिम अनुस्मारक/अनुस्मारक-VIII पत्रांक/मा0प्रौवि0/विविध/9231/2025 दिनांक: 25.07.2025 दिये जाने के बावजूद भी अभी तक आप द्वारा बकाया बिल जमा नहीं किया जा रहा है। आपको आदेशित किया जाता है कि प्राथमिकता के आधार पर विश्वविद्यालय कोष (लेखानुभाग) में तत्काल जमा कराना सुनिश्चित करते हुए जमा रसीद की छायाप्रति प्रधान कार्यालय में विविध पटल सहायक पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। आप द्वारा दिये गए प्रार्थना पत्र दिनांक: 15.09.2026 कि नगर निगम, गोरखपुर की किराया दर के अनुसार किराया अधिरोपित किया जाये। आपके उक्त प्रार्थना पत्र इस आधार पर निस्तारित किया जाता है कि आपके अनुबन्ध में जो किराया दर अंकित है वही किराया दर मान्य होगी।

आपको उक्त कार्य हेतु अब तक सात: अनुस्मारक दिये जा चुके हैं, परन्तु आप द्वारा अभी तक अपने बकाये किराये का भुगतान नहीं किया गया है। आप द्वारा यह कृत्य इस बात का द्योतक है कि आप किराये जमा करने में जान बूझकर अनावश्यक देरी/विलम्ब कर रहे हैं एवं विश्वविद्यालय को वित्तीय नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथ ही उक्त कृत्य आप द्वारा विश्वविद्यालय के साथ किये गये अनुबंध की भी अवहेलना है। यदि आप द्वारा तत्काल (सात दिन के भीतर) अपने बकाये किराये का भुगतान नहीं किया गया तो विश्वविद्यालय द्वारा आपके प्रतिष्ठान को सील कर, उत्तर प्रदेश लोक धन (बकाया वसूली) अधिनियम, 1972 के तहत किराया वसूली की विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. पुलिस चौकी, मा0मो0मा0 प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
02. प्रभारी, सुरक्षा को इस आशय से उक्त फर्म के किसी भी सामान को विश्वविद्यालय से बाहर ले जाने हेतु गेट पास/अनुमति न दिया जाये।
03. वित्त नियन्त्रक।
04. सहायक अभियन्ता
05. वेब मास्टर को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
06. कुलसचिव कार्यालय (गार्ड फाईल)।
07. अधिष्ठाता छात्र मामले।
08. वै0स0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के सादर अवलोकनार्थ।

कुलसचिव

22/09/26